

Ref. : 296676/ HO/ASTC/04/20

Date : 10/04/2020

अधिकृत अध्ययन एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापन सूचना

सत्र 2020-21 में भारत में किसी भी राज्य से अध्ययन एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्था आदि जो कि शिक्षा व्ययसाय के क्षेत्र में कार्य करने का विशेष अनुभव रखते हैं या वर्तमान में कोई सेन्टर, स्कूल, कॉलेज, औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, ट्यूशन क्लास, विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र, सिलाई केन्द्र, ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग सेन्टर, हेल्थ ट्रेनिंग एवं रिसर्च सेन्टर, पत्राचार शिक्षा केन्द्र, ऑनलाइन प्रशिक्षण व परीक्षा केन्द्र, कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेन्टर, फायर सैफ्टी ट्रेनिंग सेन्टर, एजूकेशन कन्सलेन्ट, एन.जी.ओ. संस्थान, होटल मेनेजमेन्ट ट्रेनिंग सेन्टर आदि।

इस प्रकार के संस्थान एन.आई.ई.डी. एजूकेशन कॉउंसिल से केन्द्र की मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं एवं अपने क्षेत्र के लोगों को विभिन्न क्षेत्रों के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान कर तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पंजीकृत कर उन्हें रोजगार योग्य बनाने में सहयोग कर सकते हैं। केन्द्र पर एन.आई.ई.डी. अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान के अधीनस्थ संचालित विभिन्न शिक्षा सेवाओं, निःशुल्क शिक्षा एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, प्रवेश सलाह सेवा, प्रतिस्पर्धा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन व संचालन कर अपने क्षेत्र के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ ही शैक्षिक नेतृत्व, जनकल्याण, समाजसेवा, उपयोगी एवं सटीक कार्यानुभव जैसे असंख्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

एन.आई.ई.डी. एजूकेशन कॉउंसिल से अध्ययन एवं प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्थान को आवेदन करने से संबन्धित जानकारी एन.आई.ई.डी. की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। कॉउंसिल द्वारा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक ही अधिकृत अध्ययन एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाती है अथवा एक अधिकृत केन्द्र से दूसरे अधिकृत केन्द्र की दूरी सीमा 500 मीटर तय है साथ ही सेन्टर रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित मानदण्ड व नियमानुसार व्यवस्थित होना अनिवार्य है।

एन.आई.ई.डी. एजूकेशन कॉउंसिल व एन.आई.ई.डी. अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा सेन्टर रजिस्ट्रेशन एवं किसी भी कार्य के एवज में होने वाले भुगतान के लिये प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त संस्था से संबन्धित किसी व्यक्ति, कर्मचारी, अधिकारी, समन्वयक, संस्थान, आदि किसी को भी किसी प्रकार के नगद लेनदेन की अनुमति नहीं है, अतः निर्देशिका एवं अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध बैंक खाते में ही भुगतान करें।




Digitally Signed By M. DHANRAJ

Date 2020.04.10 17:34:18 IST

Reason : Public Notice for NIED Centres

Managing Director
NIED Education Council, New Delhi

Registered Office :

Office No. 303, Third Floor, 44 Bheema Complex,
Veer Sawarkar Block, Shakarpur, Delhi - 110092 011-4104 2721
011-4109 2721

10AM to 6PM (Mon. to Sat.)

 info@nied.co.in
md@nied.co.in